संख्या– /XXVIII(6)/2022–01(नर्सिंग)/20

प्रेषक,

गरिमा रौंकली,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा,
उत्तराखण्ड।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–6 देहरादूनः दिनांकः 12 जुलाई, 2022

विषय– उत्तराखण्ड राज्य में राजकीय एवं निजी नर्सिंग संस्थानों में नर्सिंग पाठ्यक्रम आरम्भ करने एवं सीट वृद्धि के लिये आवेदन किये जाने हेतु समय–सारणी के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1315/चि0शि0/04/96/2022, दिनांक –02 मई, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य में राजकीय एवं निजी नर्सिंग संस्थानों में नर्सिंग पाठ्यक्रम आरम्भ करने एवं सीट वृद्धि के लिये आवेदन किये जाने हेतु निर्धारित समय–सारणी में संशोधन किये जाने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है। तत्क्रम में शासनादेश संख्या–1347/XXVIII(1)/2013-16(Para)/2007 T.C. दिनांक–01 जुलाई, 2013 को अवक्रमित करते हुए सम्यक विचारोपरान्त समय–सारणी को निम्नवत् पुनर्गठित किया जाता है:–

माह जनवरी

क्र0 सं0	विवरण	निर्धारित तिथि	अभ्युक्ति
1.	आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि	15 जनवरी तक	निदेशक के पक्ष में देय होगा। रू0 1000/– के डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से
2.	आवेदन प्रपत्र जमा करने की तिथि	31 जनवरी, तक	रू0 25000/– के डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से
3.	आवेदन प्रपत्रों के सापेक्ष संस्थानों के निरीक्षण की तिथि	माह फरवरी तक	ई–शासनादेश सं0 43414/ 2022 दिनांक 17.06.2022 द्वारा नर्सिंग संस्थानों के निरीक्षण हेतु निरीक्षण दल का गठन किया गया है।
4.	निरीक्षण के दौरान उपयुक्त पाये गये प्रस्तावों को शासन में प्रेषित करने की तिथि	माह मार्च	केवल उपयुक्त पाये गये प्रस्तावों को महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा की स्पष्ट संस्तुति के उपरांत ही शासन को प्रेषित किया जायेगा।
5.	निदेशालय से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण किया जाना तथा प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में गठित उप समिति में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना।	माह अप्रैल –मई	
6.	उप समिति की बैठक में संस्तुत प्रस्तावों को इम्पावर्ड कमेटी को प्रस्तुत किया जाना तथा अनिवार्यता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना।	माह जून तक	

c:/user/section/Dekstop/Arun Dangwal/Nursing/letter--22.doc

	माह फरवरी		
1.	आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि	15 फरवरी तक	रू0 1000/– के डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से
2.	आवेदन प्रपत्र जमा करने की तिथि	माह फरवरी तक	रू0 25000/– के डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से
3.	आवेदन प्रपत्रों के सापेक्ष संस्थानों के निरीक्षण की तिथि	माह मार्च तक	ई–शासनादेश सं0 43414/ 2022 दिनांक 17.06.2022 द्वारा नर्सिंग संस्थानों के निरीक्षण हेतु निरीक्षण दल का गठन किया गया है।
4.	निरीक्षण के दौरान उपयुक्त पाये गये प्रस्तावों को शासन में प्रेषित करने की तिथि	माह अप्रैल तक	केवल उपयुक्त पाये गये प्रस्तावों को महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा की स्पष्ट संस्तुति के उपरांत ही शासन को प्रेषित किया जायेगा।
5.	निदेशालय से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण किया जाना तथा प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में गठित उप समिति में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना।	माह मई–जून तक	
6.	उप समिति की बैठक में संस्तुत प्रस्तावों को इम्पावर्ड कमेटी को प्रस्तुत किया जाना तथा अनिवार्यता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना	माह जुलाई तक	
	माह मार्च		
1.	आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि	15 मार्च तक	रू0 1000/– के डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से
2.	आवेदन प्रपत्र जमा करने की तिथि	माह मार्च तक	रू0 25000/– के डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से
3.	आवेदन प्रपत्रों के सापेक्ष संस्थानों के निरीक्षण की तिथि	माह अप्रैल तक	ई–शासनादेश सं0 43414/ 2022 दिनांक 17.06.2022 द्वारा नर्सिंग संस्थानों के निरीक्षण हेतु निरीक्षण दल का गठन किया गया है।
4.	निरीक्षण के दौरान उपयुक्त पाये गये प्रस्तावों को शासन में प्रषित करने की तिथि	माह मई तक	केवल उपयुक्त पाये गये प्रस्तावों को महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा की स्पष्ट संस्तुति के उपरांत ही शासन को प्रेषित किया जायेगा।
5.	निदेशालय से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण किया जाना तथा प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में गठित उप समिति में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना।	माह जून–जुलाई तक	
6.	उप समिति की बैठक में संस्तुत प्रस्तावों को इम्पावर्ड कमेटी को प्रस्तुत किया जाना तथा अनिवार्यता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना	माह अगस्त तक	
	माह अप्रैल		
1.	आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि	15 अप्रैल तक	रू0 1000/– के डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से

2.	आवेदन प्रपत्र जमा करने की तिथि	माह अप्रैल तक	रू0 25000/– के डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से
3.	आवेदन प्रपत्रों के सापेक्ष संस्थानों के निरीक्षण की तिथि	माह मई तक	ई–शासनादेश सं0 43414/ 2022 दिनांक 17.06.2022 द्वारा नर्सिंग संस्थानों के निरीक्षण हेतु निरीक्षण दल का गठन किया गया है।
4.	निरीक्षण के दौरान उपयुक्त पाये गये प्रस्तावों को शासन में प्रषित करने की तिथि	माह जून तक	केवल उपयुक्त पाये गये प्रस्तावों को महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा की स्पष्ट संस्तुति के उपरांत ही शासन को प्रेषित किया जायेगा।
5.	निदेशालय से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण किया जाना तथा प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में गठित उप समिति में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना।	माह जुलाई–अगस्त तक	
6.	उप समिति की बैठक में संस्तुत प्रस्तावों को इम्पावर्ड कमेटी को प्रस्तुत किया जाना तथा अनिवार्यता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना	माह सितम्बर तक	

माह मई

1.	आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि	15 मई तक	रू0 1000/– के डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से
2.	आवेदन प्रपत्र जमा करने की तिथि	माह मई तक	रू0 25000/– के डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से
3.	आवेदन प्रपत्रों के सापेक्ष संस्थानों के निरीक्षण की तिथि	माह जून तक	ई–शासनादेश सं0 43414/ 2022 दिनांक 17.06.2022 द्वारा नर्सिंग संस्थानों के निरीक्षण हेतु निरीक्षण दल का गठन किया गया है।
4.	निरीक्षण के दौरान उपयुक्त पाये गये प्रस्तावों को शासन में प्रषित करने की तिथि	माह जुलाई तक	केवल उपयुक्त पाये गये प्रस्तावों को महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा की स्पष्ट संस्तुति के उपरांत ही शासन को प्रेषित किया जायेगा।
5.	निदेशालय से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण किया जाना तथा प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में गठित उप समिति में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना।	माह अगस्त–सितम्बर तक	
6.	उप समिति की बैठक में संस्तुत प्रस्तावों को इम्पावर्ड कमेटी को प्रस्तुत किया जाना तथा अनिवार्यता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना	माह अक्टूबर तक	

2– इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि भारत के राजपत्र दिनांक–05 जुलाई, 2021 में उल्लिखित प्राविधानान्तर्गत सत्र की शुरूआत प्रत्येक वर्ष 01 अगस्त से होगी। अतः शासन द्वारा अनिवार्यता प्रमाण पत्र अगले वर्ष से शुरू होने वाले सत्र के लिये निर्गत किया

जायेगा। शासन द्वारा निर्गत विभिन्न शासनादेशों तथा भारतीय उपचर्या परिषद(आई0एन0सी0), नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर संशोधित/नवीन गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए राजकीय/निजी नर्सिंग संस्थानों से उपरोक्त समय–सारणी के अनुसार आवेदन पत्र प्राप्त कर, शासन के ई–पत्र संख्या–I/43414/2022 दिनांक–17.06.2022 द्वारा गठित निरीक्षण समिति के निरीक्षणोपरान्त केवल संस्तुत प्रस्तावों को महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा की स्पष्ट संस्तुति सहित शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। समाचार पत्रों के माध्यम से आवेदन–पत्र प्राप्त कर लिये जायें।

भवदीया,

(गरिमा रौंकली)
अपर सचिव।

संख्या–291/XXVIII(6)/2022–01(नर्सिंग)/2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड नर्सेज एण्ड मिडवाइव्ज काउन्सिल, देहरादून।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार सिंह)
अनु सचिव।